

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/वीआरएस-22/2017/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती सारम्मा जोन, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अधीन उपकेन्द्र धुवाला (करेडा), खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, माण्डल, जिला भीलवाड़ा, जिनकी सेवापुस्तिका में अंकितानुसार जन्मतिथि 07.04.1960 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 30.12.1985 है, को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन 1996 के नियम 50(1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 31.07.2017 से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। दिनांक 31.07.2017 इनका अकार्य दिवस माना जावेगा।

इनके विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

*Sol*  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/वीआरएस-22/2017/ 846

दिनांक:- 23/6/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 872/एम/एमएच/17 दिनांक 12.06.17 की अनुपालना में।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 70/MOS/M&H/17 दिनांक 08.06.17 की अनुपालना में।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 3207 Pr.Sec./M&H/2017 दिनांक 12.06.2017 की अनुपालना में।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 884 दिनांक 05.06.17 के संदर्भ में।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा।
7. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, माण्डल (भीलवाड़ा)।
8. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर